कृषि विभाग

कृषि रोड मैप

(अन्तर्गत)

कृषि यांत्रिकीकरण

(कार्यान्वयन अनुदेश)

वर्ष2015–2016

राम विचार राय,
कृषि मंत्री,
बिहार सरकार।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
Govt of Bihar
Deptt of Agriculture
Vikas Bhawan, Patna-15

संदेश

कृषि के विकास में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हेतु यांत्रिकीकरण का विशेष महत्व है। कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्य में लगने वाले समय, अर्थ एवं श्रम की सदैव बचत होती है।

राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर कृषकों को अनुदान प्रदान करती है। इस वर्ष मखाना उत्पादक कृषकों के लिए मांग के अनुरूप उनके लिए उपयोगी कृषि यंत्रों को योजना में शामिल किया गया है। यह हर्ष का विषय है। आशा है मखाना उत्पादक किसान बंधु इन यंत्रों का उपयोग कर अपनी उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करेगें। यांत्रिकीकरण योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2015–16 तैयार किया गया है। अनुदेश पुस्तिका विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं कृषकों के लिए मार्ग दर्शन का कार्य करेगा।

मैं इस प्रयास की सराहना करता हूँ।

(राम विचार राय)
कृषि मंत्री,
बिहार सरकार।

श्री विजय प्रकाश,भा0प्र0से0
कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार सरकार।

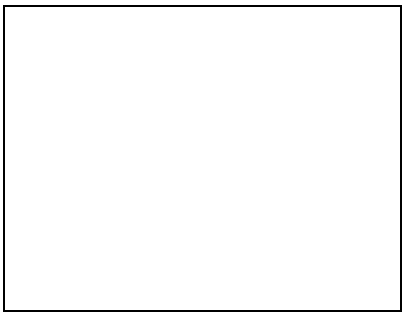

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
Govt of Bihar,
Deptt of Agriculture,
Vikas Bhawan, Patna-15

संदेश

कृषि के क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हरितक्रांति उप योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राज्य योजना एवं आइसोपोम योजना अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण को सम्मिलित किया गया है। मखाना उत्पादकों की मांग पर इसके प्रसंस्करण के लिए उपयोगी कृषि यंत्र योजना में शामिल किया गया है। बीज उत्पादन कार्यक्रम की महता को देखते हुए बीज प्रसंस्करण इकाई को भी अनुदान योजना में शामिल किया गया है, जिसमें आधुनिक एवं अत्यधिक उपयोगी कृषि यंत्र पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषकों को बड़े, मध्यम एवं छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2015–16 तैयार किया गया है। कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों, कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

विश्वास है कि किसान इससे अधिक लाभ उठाएँगे।

(विजय प्रकाश)
कृषि उत्पादन आयुक्त
बिहार, पटना।

श्री सुधीर कुमार,भा0प्र0से0
प्रधान सचिव, कृषि विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
Govt of Bihar,
Deptt of Agriculture,
Vikas Bhawan, Patna-15

संदेश

कृषि के विकास हेतु फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति के अधीकतम उपयोग का विशेष योगदान है। यांत्रिकरण से समय, अर्थ एवं श्रम की बचत होती है।

किसानों की मांग एवं इसकी आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न योजनाओं में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है तथा इसमें छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है ताकि सभी श्रेणी के कृषक इसका लाभ प्राप्त कर सकें एवं इसके उपयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसान अपने आय में वृद्धि एवं समय तथा श्रम की बचत कर सकें।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2015–16 तैयार किया गया है। कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों, कर्मचारियों, कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जा रही है।

उम्मीद है कि सभी सम्बंधित व्यक्ति इस कार्यान्वयन अनुदेश से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
बिहार, पटना।

बी0 कार्तिकेय, भा0प्र0से0
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार,
कृषि विभाग
विकास भवन, पटना–15
Govt of Bihar,
Deptt of Agriculture,
Vikas Bhawan, Patna-15

संदेश

फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत यथा राज्य योजना, आइसोपोम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, हरित क्रांति उप योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि यांत्रिकीकरण को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाना है। कृषि के आधुनिकीकरण में कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न अंग है।

इस योजना से निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति सन्निहित है :–

1. फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
2. समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
3. समय पर फसल तैयारी एवं कटाई का प्रबंधन

किसानों की मांग एवं इसकी आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न योजनाओं में कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है तथा इसमें छोटे, मध्यम एवं बड़े सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को शामिल किया गया है ताकि सभी श्रेणी के कृषक इसका लाभ प्राप्त कर सकें एवं इसके उपयोग से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसान अपने आय में वृद्धि एवं समय तथा श्रम की बचत कर पाएँगे।

कृषि यांत्रिकीकरण के सफल कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश 2015–16 तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि कार्यान्वयन अनुदेश 2015–16 का अनुपालन जिला/प्रखंड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायगा। इस हेतु कार्यान्वयन अनुदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारियों एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है सभी सम्बंधित पक्ष इससे लाभान्वित होंगे।

कृषि निदेशक, बिहार पटना।

अनुक्रमाणिका

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि	
2.	कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2015–16 के लिए क्रियान्वयन अनुदेश	
3.	कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विभिन्न विहित प्रपत्र	
4.	अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों से सम्बंधित लाभान्वित कृषकों की सूची का प्रपत्र	
5.	विभिन्न योजनाओं अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के लिए विभिन्न मदों का योजनावार/जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
6.	ट्रैक्टर की सूची	
7.	पावर टीलर की सूची	
8.	कम्बाइन हार्वेस्टर की सूची	
9.	कृषि यांत्रिकीकरण से सम्बंधित महत्वपूर्ण पत्र/परिपत्र	
10.	फार्म मशीनरी प्रशिक्षण कार्यक्रम 2015–16	

कृषि यांत्रिकरण योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि वर्ष : 2015–16

क्र0सं0	यंत्र का नाम	अनुदान दर/अधिकतम सीमा जो कम हो (राशि रू0 में)	
		सामान्य	अनुसूचित जाति/जन जाति
1	2	3	4
1	ट्रैक्टर (अधिकतम 70एच0पी0तक)	25% अधिकतम 45000	35 % अधिकतम 67500
2	पावर टीलर (8.71 एच0पी0से 15 एच0पी0तक)	50% अधिकतम 50000	50 % अधिकतम 75000
3	लेजर लैंड लेवलर	50% अधिकतम 100000	50 % अधिकतम 150000
4	रोटाभेटर/रोटरी टीलर	50% अधिकतम 20000	50 % अधिकतम 30000
5	रिभरसेबुल एम0 बी0 प्लाउ	50% अधिकतम 20000	50 % अधिकतम 30000
6	डिस्क हैरो	50 % अधिकतम 10000	50 % अधिकतम 14000
7	कल्टीवेटर	50 % अधिकतम 10000	50 % अधिकतम 14000
8	रोटो कल्टीवेटर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 27000
9	सब सॉयलर	50% अधिकतम 7500	50% अधिकतम 10000
10	जीरो टिलेज/सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील/मल्टी क्रॉप प्लांटर	50% अधिकतम 30000	50% अधिकतम 40000
11	हैपी सीडर (9 से 10 टाईन)	50% अधिकतम 40000	50% अधिकतम 60000
12	पोटैटो प्लांटर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
13	रेज्ड वेड प्लांटर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
14	सूगर केन कटर कम प्लांटर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
15	पैडी ड्रम सीडर	50 % अधिकतम 3000	50% अधिकतम 3750
16	सीड कम फर्टिलाईजर डिबलर	50 % अधिकतम 500	50% अधिकतम 750
17	रीजर/ट्रेनचर	50 % अधिकतम 7500	50% अधिकतम 11000
18	पम्पसेट (डीजल/इलेक्ट्रीक)अधिकतम 10 एच0पी0 तक	50% अधिकतम 10000	50% अधिकतम 15000
19	सिचांई पाईप एच0डी0पी0ई0(600मी0)	50% अधिकतम 15000	50% अधिकतम 22500
20	लपेटा सिचांई पाईप (100मी0)	50% अधिकतम 1000	50% अधिकतम 1120
21	वीडर	अधिकतम 500	अधिकतम 600
22	पावर वीडर	50% अधिकतम 15000	50% अधिकतम 20000
23	मानव चालित पौधा संरक्षण यंत्र(स्प्रेयर/डस्टर इत्यादि)	50% अधिकतम 500	50% अधिकतम 750

	मानव चालित रॉकर स्प्रेयर (गटोर)	50% अधिकतम 2000	50% अधिकतम 2500
24	पावर स्प्रेयर/डस्टर/पौधा संरक्षण यंत्र	50% अधिकतम 2000	50% अधिकतम 3000
25	कम्बाईन हार्वेस्ट/मेज कम्बाईन हार्वेस्टर	50% अधिकतम 400000	50% अधिकतम 500000
26	स्ट्रा वेलर विदाउट रैक	50% अधिकतम 150000	50% अधिकतम 225000
27	स्ट्रा रीपर/स्ट्रा कम्बाईन	50% अधिकतम 100000	50% अधिकतम 150000
28	रीपर कम बाईंडर	50% अधिकतम 175000	50% अधिकतम 178500
29	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	50% अधिकतम 40000	50% अधिकतम 60000
30	ट्रैक्टर माउंटेन रीपर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
31	पोटैटो डीगर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
32	पावर ऑपरेटेट व्हीट/मेज थ्रेसर	50% अधिकतम 15000	50% अधिकतम 20000
33	पावर मेल सेलर	50% अधिकतम 10000	50% अधिकतम 15000
34	पेडी थ्रेसर(पावर ऑपरेटेड 6 इंच ड्रम साइज)	50% अधिकतम 30000	50% अधिकतम 45000
35	चैफ कटर (मैनुअली)	50% अधिकतम 3000	50% अधिकतम 4500
36	पैडी थ्रेसर (मैनुअली)	50% अधिकतम 3000	50% अधिकतम 4000
37	विनोवर/पैडी क्लीनर (मैनुअली)	50% अधिकतम 2000	50% अधिकतम 3000
38	मीनी रबर राईस मिल	50% अधिकतम 45000	50% अधिकतम 67500
39	मीनी दाल मिल/ऑयल मिल	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
40	ड्रायर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
41	हाईड्रोलिक ट्रेलर	50% अधिकतम 20000	50% अधिकतम 30000
42	चैन शॉ फॉर प्रूनिंग	50% अधिकतम 10000	50% अधिकतम 15000
43	मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट	50% अधिकतम 500000	50% अधिकतम 750000
44	मखाना पॉपिंग मशीन	50% अधिकतम 100000	50% अधिकतम 150000

कृषि यांत्रिकरण योजना 2015–16 के लिये कार्यान्वयन अनुदेष

1. प्रस्तावना :– यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू होगी। कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम के ये दिशा निदेश राज्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिषन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति योजना पर लागू होगें।

2. योजना का उद्धेश्य :–

- ❖ उत्पादकता वृद्धि में यांत्रिक शक्ति का अधिकतम उपयोग
- ❖ समय, अर्थ एवं श्रम की बचत
- ❖ फसल योजना का समय पर सम्पादन
- ❖ समय पर फसल तैयारी का प्रबंधन

3. कृषि यंत्रों का सूचीकरण :–

बिहार के अन्दर एवं राज्य के बाहर के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित वैसे कृषि यंत्र जो भारत सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान यथा FMTTI/SAUs/BIS/CIPET द्वारा परीक्षित एवं प्रमाणित हो, की सूचीबद्धता ऑनलाईन पद्वति से किया जायेगा। ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन हेतु इच्छुक निर्माता जो बिहार राज्य के कृषकों को अनुदान योजना के तहत यंत्र वितरण करना चाहते है वे बिहार सरकार कृषि विभाग के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in के OFMAS Portal पर सूचीबद्धता हेतु ऑन लाईन आवेदन कर सकते है। ऑन लाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन हेतु सॉफ्टवेयर छप्ब् द्वारा तैयार किया जा रहा है जब तक सॉफ्टवेयर वेबसाईट में स्थापित नहीं हो जाता है तब तक पूर्व के सूचीबद्ध निर्माता जिनके ज्मेज तमचवतज की वैद्यता शेष हो मान्य रहेंगे तथा इच्छुक कृषि यंत्र निर्माताओं को पूर्व की भाँति गठित कमिटी द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। जब ऑन लाइन Manufacturer Registration Software विभागीय बेवसाईट पर स्थापित हो जायगा तब सभी निर्माताओं को ऑन लाईन रजिस्ट्रेषन करना होगा। निर्माता द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने के उपरांत SMS/दूरभाष/ई0मेल से सम्बंधित कागजातों की मूल प्रति के सत्यापन हेतु एक तिथि संसूचित की जायगी उस तिथि को निर्माता (आवेदनकर्त्ता) द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्रति का सत्यापन कराया जायगा तत्पश्चात् कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के अनुमोदनोपरांत उनके यंत्रों को ऑन लाईन सूचीबद्ध किया जायगा। वैसे नये इच्छुक उन्नत कृषि यंत्र निर्माता जिनके द्वारा निर्मित कृषि यंत्र FMTTI'S/SAU'S से परीक्षित एवं प्रमाणित हो तथा योजना में शामिल होना चाहते हों, वैसे यंत्र निर्माता एक माह के अन्दर सूचिवद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में गत वर्ष बिहार में आपूर्ति किये गये यंत्रों की विवरणी निर्माताओं द्वारा भरना अनिवार्य होगा तथा आलोच्य वर्ष में डीलरों को निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किये जा रहे यंत्रों की संख्या एवं यंत्रों से सम्बंधित विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। आपूरित यंत्रों की ऑन लाईन प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बंधित डीलर अनुदान पर वितरण

कर सकेंगे तथा आपूरित यंत्रों के Invoice की एक प्रति संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) बिहार, पटना के कार्यालय में निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। अवहेलना की स्थिति में उनकी सूचीबद्धता रद्द कर दी जायगी।

कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित सभी यंत्रों पर engraved/embossed नंबर अंकित होना अनिवार्य होगा किसी परिस्थिति में निर्माता अथवा उनके आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अमानक यंत्र की आपूर्ति नहीं की जायगी।

निर्माता अथवा उनके विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गये यंत्रों की वारंटी/गारंटी अवधि के अन्दर यंत्र खराब/टूट–फूट जाता है तो सम्बंधित निर्माता अथवा उनके डीलर द्वारा 48 घंटे के अन्दर उसे मरम्मत अथवा Replace करना अनिवार्य होगा।

4. कृषक का चयन

i वैसे कृषक का चयन किया जाये जिनके नाम से खेती योग्य भूमि हो।

ii कृषक इच्छुक/प्रगतिषील हों।

iii अनुसूचित जाति के 16 प्रतिषत एवं अनुसूचित जन–जाति के 1 प्रतिषत कृषक समुदाय का चयन किया जाएगा। उक्त कोटि के कृषक के लिए आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरे कोटि के कृषकों को देय नहीं होगा। इस कोटि के भूमि धारक किसान नहीं मिलने पर वैटाइदार/जोत भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी यंत्र दिये जा सकते है, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

iv जिन कृषकों को पूर्व में कोई यंत्र मिल चुका है, उन्हें उस यंत्र के लिए पुनः चयनित नहीं किया जाएगा अर्थात एक किसान को अनुदानित यंत्र मात्र एक ही बार देय होगा।

v एक किसान को शक्ति स्रोत यंत्र यथा ट्रैक्टर एवं पावर टीलर के अतिरिक्त दो सहायक कृषि यंत्र जो विभिन्न प्रकृति के है, पर ही अनुदान देय होगा।

vi कृषकों का चयन लक्ष्यानुसार पंचायतवार ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जायेगा।

vii कृषक प्रक्षेत्र पाठ्षाला के कृषकों को/स्वयं सहायता समूह/उपभोक्ता समूह/किसानों की सहकारी समिति आदि को भी योजना का लाभ मिलेगा।

viii 15 अष्वषक्ति तक के ट्रैक्टर के लिए लाभन्वित कृषकों को कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।

ix 15 अष्वषक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिए लाभान्वित कृषक को कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन हो।

x पावर टीलर के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो।

xi पम्पसेट के लाभान्वित कृषक के पास कम से कम $\frac{1}{2}$ (आधा) एकड़ जमीन हो।

xii अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के पास प्रायः भू–धारिता कम होती है, जिसकी वजह से योजना का शत प्रतिशत लाभ लेने से वंचित रह जाते है। उक्त समुदाय के कृषक हित में ट्रैक्टर के लिए न्यूनतम भू–धारिता 1 एकड़ एवं पॉवर टीलर के लिए 0.5 एकड़ निर्धारित की गई है।

xiii छोटे कृषि यंत्रों के लिए जमीन सम्बंधी अद्यतन राजस्व रसीद की आवष्यकता होगी। इससे छोटे–छोटे जोत वाले कृषक भी लाभान्वित हो सकेगें, परन्तु कृषि समन्वयक/ किसान सलाहकार/ पंचायत प्रतिनिधि / मुखिया / कर्मचारी से पहचान अवष्य कराया जायगा। सहायक कृषि यंत्र प्राप्ति के लिए मुख्य कृषि यंत्र वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाय।

xiv बिना भूस्वामित्व प्रमाण पत्र के लिखित रूप में लीज/पट्टा पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर एवं अन्य बडे कृषि यंत्र पर अनुदान देय नहीं होगा।

xv सभी कृषि यंत्रों पर बारकोड दिये जाने की अनिर्वायता होगी। सभी कृषि यंत्र निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता/डीलर द्वारा अपने–अपने विभिन्न यंत्रों के स्टॉक को अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर में डालकर ऑन लाईन किया जायेगा। इसके बाद इनके द्वारा नियमित रूप से इसे अपडेट भी किया जायेगा।

xvi ट्रैक्टर का निबंधन डीलर के स्तर पर कराया जाना अनिवार्य होगा। निबंधन हो जाने के बाद ही इसका डिलेभरी किया जायेगा। ट्रेलर का निबंधन भी ट्रैक्टर के साथ ही कराया जायेगा तथा इसे भी ऑन लाईन किया जायेगा ताकि एक ट्रैक्टर पर एक ही बार ट्रेलर लिया जा सके। ट्रेलर पर भी क्रम संख्या अंकित करवाया जाय।

xvii फोलडिंग सिंचाई पाईप (लपेटा पाईप) अनिवार्य रूप से कृषि यांत्रिकरण मेला में ही उपलब्ध कराया जायेगा। फोलडिंग सिंचाई पाईप (लपेटा पाईप) का एक यूनिट 15 कि0ग्रा0/100मी0 का होगा तथा एक किसान अधिकतम 5 यूनिट तक क्रय कर सकेगा।

xviii कम्बाईन हार्वेस्टर यंत्र को अनुदानित दर पर क्रय करने हेतु जमीन की अनिवार्यता नहीं होगी।

5. यंत्र के लिए आवेदन

;पद्ध **आवेदन की प्राप्ति** :– वैसे कृषक जो अनुदानित दर पर यंत्र क्रय करना चाहते है वे विभागीय वेबसाइट पर सीधे आवेदन कर सकते है। वैसे कृषक जो ऑन लाईन आवेदन नहीं कर सकते है वे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड कर ऑफ लाईन आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी अथवा जिला में जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी उस आवेदन को तुरंत उसी दिन ऑन लाईन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा ऑफ लाईन आवेदन की प्रविष्टि का संधारण एक पंजी में करेंगे। किसानों हेतु ऑन लाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश अनुसूची "A" संलग्न है।

(पप) आवेदन की जाँच (ऑन लाईन) :– ऑन लाईन आवेदन की जाँच तीन स्तर पर किया जाय। सर्वप्रथम आवेदन की जाँच जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कृषि समन्वयक द्वारा स्थल पर की जायगी तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रविष्टि अपने लॉग इन आइ० डी० का उपयोग कर ऑन लाईन की जायगी। तत्पष्चात् प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा आवेदन की पूर्ण जाँच की जायेगी। स्थलीय एवं अभिलेख के आधार पर जाँच कर प्रतिवेदन ऑन लाईन किया जायगा। अंत में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भी आवेदन की जाँच की जायगी। यदि कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी की जाँच में भिन्नता पाई जाती है तो जिला कृषि पदाधिकारी वैसे आवेदन की विषेष जाँच स्वयं करेंगे तथा गलत जाँच प्रतिवेदन देने वाले कृषि समन्वयक अथवा

प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर अनुषासनिक कार्रवाई कर कृषि निदेषक, बिहार, पटना को अवगत करायेंगे।

यह सुनिष्चित किया जाय कि आवेदक अपने आवेदन में वर्णित यंत्रों का क्रय पिछले पाँच वर्षों में अनुदानित दर पर नहीं किया हो। वैसे आवेदन को जिला कृषि पदाधिकारी अथवा प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कारण सहित अस्वीकृत किया जायगा। विभिन्न स्तरों पर आवेदनों की जाँच करने की अवधि/समय सीमा अनुसूचि में दी गई है। आवेदन जाँच की प्रक्रिया अधिक से अधिक 15 दिनों में निष्चित रूप से पूरी की जायेगी। यह जाँच किसान के निवास स्थल पर जाकर की जायेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जायेगा कि आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उन्हें सचमुच कृषि उपकरण की आवष्यकता है या नहीं तथा मांग किया गया यंत्र पूर्व में उन्हें अनुदानित दर पर उपलब्ध हुआ है या नहीं। जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से यह सुनिष्चित किया जायेगा, कि कृषि यंत्र के लिए प्राप्त आवेदन की जाँच शत–प्रतिषत हो गई है। अयोग्य आवेदनों को कारण सहित अस्वीकृत किया जायगा। योग्य आवेदनों का प्रखंड के लिए निर्धारित लक्ष्य के आधार पर स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा। लक्ष्य से अधिक योग्य आवेदक होने पर उनकी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिन्हें आगामी वर्ष में प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जाँच की समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में की जायगी तथा अद्यतन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 7 वीं तारीख को ई–मेल के माध्यम से कृषि निदेषक, बिहार को संलग्न प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिष्चित किया जायगा।

(पपप) बैंक आधारित यंत्र का आवेदनः– बैंक ऋण के माध्यम से कृषि यंत्र लेनेवाले इच्छुक कृषकों से संबंधित प्राप्त आवेदन को भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर जाँचकर अपनी अनुषंसा के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित बैंक को अग्रसारण पत्र के साथ भेजना सुनिष्चित करेंगे। इसे भी बैंक पंजी में यंत्रवार विधिवत संधारित किये जायेगें; ताकि यह सुनिष्चित हो सके कि बैंक में कितने आवेदन किस यंत्र के भेजे गए हैं। बैंक में भेजे गए आवेदन की स्वीकृति की समीक्षा जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटि की बैठक/टास्क फोर्स की बैठक में की जायेगी। बैंको में लंबित आवेदन पत्रों की एक सूची प्रत्येक माह निदेशालय को भी भेजी जाएगी।

- इच्छुक किसान द्वारा यदि स्वयं सीधे संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर/ मोबाइल सीड प्रोसेसिंग यूनिट का आवेदन दिया जाता है, तो वैसे आवेदन भी मान्य होंगे, परन्तु बैंक द्वारा जमीन/अन्य आवश्यक सूचनाओं की सत्यता की जांच हेतु आवेदन पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लौटाया जोयगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष तकनीकी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जाँचोपरान्त अपनी अनुषंसा के साथ पंजी में संधारित कर ही बैंक को लौटायेंगे ताकि यह स्पष्ट रहे कि संबंधित बैंक को कितने आवेदन किस तिथि को भेजे गए है।, इसका अनुश्रवण भी किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी उसकी मासिक समीक्षा करेंगे।
- शाखा प्रबंधक द्वारा आवेदन को 15 दिनों के अन्दर स्वीकृत करते हुए विषेष दूत से पत्र के माध्यम से इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को दिया जायगा, जिसे वे अपने यहाँ रक्षी संचिका में क्रमवार संधारित करेंगे। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की तिथि को आधार मानकर जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान की राषि स्वीकृत करेंगे।

(पअ) आवेदन की स्वीकृति एवं स्वीकृति पत्र का विवरण :– ऐसे सभी आवेदन जो जाँच में अनुदान के लिये योग्य पाये जाते है; उन्हें ऑन लाईन एक स्वीकृति पत्र दिया जोयगा। किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया अंकित रहेगा। दस हजार रूपये से कम

अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा दस हजार एवं दस हजार से अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मेला आयोजन के पूर्व संबंधित प्रखण्ड के जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रखण्डों में षिविर लगाकर स्वीकृति पत्रों का वितरण कृषकों को करेंगे तथा तत्सम्बंधी प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेषक स्वयं एवं अधीनस्थ पदाधिकारी को जिला में भेज कर समीक्षा करेंगे एवं मेला से पूर्व शत–प्रतिषत स्वीकृति पत्र का वितरण किसान तक सुनिष्चित कराएँगे।

6. अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का क्रय :– अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों के क्रय हेतु कृषि यांत्रिकरण मेला की बाध्यता को समाप्त किया गया है। इच्छुक किसान कृषि विभाग के वेबसाइट के व्ड़ै में निबंधित निर्माताओं के स्थानीय डीलर के प्रतिष्ठान/दूकान से अपनी इच्छानुसार मानक कृषि यंत्र क्रय कर सकेंगे। यदि वो यंत्रों का क्रय मेला में करना चाहते है तो प्रत्येक जिला में प्रत्येक माह में यांत्रिकरण मेला आयोजित की जायगी। उक्त मेला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निबंधित डीलर भाग ले सकेगें। मेला आयोजन के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी स्थानीय सभी निबंधित डीलर के साथ बैठक का आयोजन करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि मेला में पर्याप्त मात्रा में सभी प्रकार के मानक यंत्र उपलब्ध रहें।

मेला में किसी भी परिस्थिति में अमानक यंत्र का वितरण नहीं किया जाय इसकी पूर्ण जबावदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी।

7. वितरण में पारदर्षिता

जिला कृषि पदाधिकारी मेला आयोजन की तिथि से दो दिन पूर्व चयनित कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी/जिला परिषद के अध्यक्ष/सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड प्रमुख को हस्तगत करायेंगे तथा वही सूची सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एवं जिला कृषि कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्षित करेंगे। वही सूची जिला स्तरीय वेबसाईट पर प्रदर्षित करेंगे तथा मेला मे भी वही सूची प्रदर्शित करेगें ताकि मेला में आये कृषकों को कोई असुविधा ना हो।

8. गुणवतापूर्ण यंत्रों की उपलब्धता :–

(क) यंत्रों की उपलब्धता :– वित्तीय वर्ष के शुरूआत में यंत्रों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु संयुक्त कृषि निदेषक, अभियंत्रण, बिहार, पटना राज्य स्तर पर कृषि यंत्र से जुड़े निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं /विक्रेताओं की बैठक कृषि निदेषक, बिहार की अध्यक्षता में करायेगें। कृषि निदेषक, बिहार से बैठक की तिथि प्राप्त करेंगे तथा बैठक की तिथि की सूचना संबंधित सभी निर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं/बिक्रेताओं को पत्रों/ई–मेल/दूरभाष/विषेष दूत/समाचार पत्रों के माध्यम से देंगे। राज्य स्तरीय बैठक में दोनो विश्वविद्यालय से भी अभियंत्रण के डीन/विभागाध्यक्ष को आमंत्रित करेगें। प्रमंडलीय स्तर पर संयुक्त कृषि निदेषक अपने अध्यक्षता में अपने क्षेत्राधीन कृषि यंत्र निर्माता/विक्रेता की बैठक कर यंत्रों की उपलब्धता सुनिष्चित करायेंगे।

(ख) अनुदान पर वितरित कृषि यंत्र की विषिष्टता :–

i ट्रैक्टर/पावर टीलर/कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग से अनुमोदित मेक/मॉडल पर ही अनुदान देय होगा।

ii कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केन्द्रीय फार्म मषीनरी प्रषिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफ०एम०टी० एण्ड टी०आई०) से जाँच किया होना चाहिए।

iii ट्रैक्टर के संबंध में 70 अष्वषक्ति तक के ट्रैक्टर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर के संबंध में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्बाईन हार्वेस्टर पर अनुदान देय होगा।

iv भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली के पत्र संख्या– 13–10/99 एम0एण्ड टी0 (आई० एण्ड पी०) दिनांक– 03.12.2013 के अलोक में संबंधित कृषि यंत्र (ट्रैक्टर, पावर टीलर एवं कम्बाईन हार्वेस्टर) के लिए संबंधित संस्थान से प्रमाण पत्र की उपलब्धता पर कृषि यंत्रों पर अनुदान देय होगा। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिष्चित किया जायगा। इसके अलावा भारत सरकार कृषि मंत्रालय से गुणवत्ता संबंधी अद्यतन निर्गत मार्ग निर्देष की प्रति समय–समय पर उपलब्ध करायी जायगी। तद्नुसार कार्रवाई सुनिष्चित किया जायगा। (प्रत्र संलग्न)

v आपूर्तिकर्ता/एजेन्सी/बिक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों पर यंत्रों के सिरियल्स नम्बर के साथ प्लेट निष्चित रूप से लगा होना चाहिए, जिस पर योजना का नाम, जिला का नाम वित्तीय वर्ष के साथ लाभार्थी का नाम एवं पता आदि अंकित रहे।

9. कृषि यंत्रों का मूल्य नियंत्रणः–

कृषि यांत्रिकरण हेतु विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले मेले में कृषि यंत्रों के मूल्य नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई की जायेगी।:–

(क) निदेशालय द्वारा कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम हेतु पंजीकृत सभी निर्माताओं से यंत्रों के ब्रांडवार बाजार मूल्य की लिखित सूचना प्राप्त की जायेगी।

ब्रांडवार उस सूचना की बाजार दर के सामान्यतः समतुल्य होने का प्रमाणन, सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा आत्मा की जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति के साथ बैठक कर, जिसमें किसानों के 11 प्रतिनिधि विशेष तौर पर आमंत्रित करके बुलाया जाय, से प्रमाणन करा लिया जाय एवं किसानों द्वारा सत्यापित मूल्य, सम्बंधित जिले के मेले में प्रश्नगत अधिकृत विक्रेता के संदर्भित ब्रांड का बिक्री मूल्य माना जाय। उस मूल्य से अधिक मूल्य पर आपूर्तिकर्त्ता बिक्री नहीं करें।

(ख) विभिन्न ब्राडों के निर्माता, ब्रांडवार बिहार राज्य के वितरकों को उनके द्वारा आपूर्ति किए गए यंत्रों का विवरण कृषि निदेशक को समर्पित करेंगे, जिसे वे सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को Circulate कर देगें ताकि अनुदान वितरण करने से पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी आश्वास्त हो लें कि जिस s Chechis/Make के विरूद्ध अनुदान दिया जा रहा है वह वस्तुतः सम्बंधित ब्रांड के निर्माता द्वारा राज्य में आपूर्ति किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे सब स्टैंडर्ड/Locally assembled/Spurious मशीनों की बिक्री मेले में नहीं होने दें। इससे राज्य में सब स्टैंडर्ड मशीनरी की आपूर्ति पर रोकथाम लगेगी।

(ग) जिले में मेले में भाग लेने वाले सभी Manufacturers/वितरक मेले में भाग लेने के समय विभिन्न वितरकों को जो यंत्र आपूर्ति किए गए है, उससे सम्बंधित Invoice जिला कृषि पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी मेले में मात्र अधिकृत मशीनों

की ही आपूर्ति हो, इसे सुनिश्चित करेंगे एवं तदनुसार अनुदान का भुगतान करेंगे। यदि किसी भी सब–स्टैंडर्ड मशीन के मामले में अनुदान का भुगतान किया जाएगा तो जिला कृषि पदाधिकारी उसके लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

(घ़) जिला कृषि पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करायेगें कि वाणिज्य कर विभाग मेले में अपना एक प्रतिनिधि दल प्रतिनियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिक्री हो रहे मशीन अधिकृत बिक्रेताओं की है और अधिकृत मशीनों से बिक्री कर की वसूली हो रही है। कृषि विभाग के स्तर से भी वाणिज्यकर विभाग को अनुरोध किया जायेगा।

(ड़) जिला पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि मेले में वे दंडाधिकारियों का एक दल प्रतिनियुक्त करें, जो स्टैंडर्ड मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिक्री हो रहे सभी मशीनें कंपनी द्वारा निर्मित है, कोई सब–स्टैंडर्ड/ Locally assembled मशीन की बिक्री नहीं हो रही है, एवं टैक्स की वसूली हो रही है तथा किसानों से लिया जा रहा मूल्य वहीं है, जो सामान्यतः बाजार मूल्य है।

10. कृषि यांत्रिकरण मेला :–

(क) जिला स्तर

i जिला कृषि पदाधिकारी मेला से पूर्व जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं की एक बैठक करायेगें जिसमें गुणवता युक्त कृषि यंत्रों को उचित मूल्य पर विक्री करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। **इस बैठक में कार्यान्वयन अनुदेश के क्रमांक–9 में वर्णित विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विचार किया जायेगा।** जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि मेला में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवता वाले कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके।

ii गुणवता युक्त कृषि यंत्र ही मेला में प्रदर्शित तथा उसकी बिक्री हो, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा तथा जिला उद्यान पदाधिकारी सदस्य होगें। उक्त समिति मेला में प्रदर्शित/बिक्री किये जा रही यंत्रों की गुणवता के सम्बंध में जाँचोंपरांत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत करेगें।

iii यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों को अनुदानित दर पर यंत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से सम्बंधित अनुदेश अनुसूची– "B" संलग्न है।

iv यंत्रों की गुणवता सत्यापन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी यंत्रों की सूची तथा संबंधित गुणवता प्रमाणन एजेंसी/ संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा सूचीबद्ध करने संबंधी सभी आवश्यक अभिलेख मेला में रखेंगे जिसके आलोक में प्रदर्शित यंत्रों की गुणवता सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

v स्वीकृत पत्र एक पुस्तिका रूप में होगी, जिसमें 3(तीन) प्रतिया निर्मित की जायेगी। जिसमें एक किसान को दिया जायेगा तथा दूसरी प्रति किसान के आवेदन के साथ संलग्न होगा।

vi अगर यंत्र निर्माता द्वारा यंत्रो पर कोई क्रमांक उत्किर्ण नहीं किया गया है तो मेला में यंत्रों पर संख्या Engraved कराने की जिम्मेवारी विक्रेता की होगी, जिसे जिला कृषि पदाधिकारी मेला में सुनिश्चित कराएगें।

vii मेला में गेट पास की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मेला प्रभारी के एक सहयोगी पदाधिकारी गेट पर प्रतिनियुक्त किया जाय। उनके द्वारा गेट पास की एक प्रति रख ली जाय। इस प्रति पर वे हस्ताक्षर कर दें। इसके बाद कार्यालय द्वारा अनुदान भुगतान की कार्यवाई की जाय। अभिलेख में गेट पास पदाधिकारी का प्रतिहास्ताक्षरित गेट पास भी सुरक्षित रखा जाय।

viii मेला में यंत्रों का सत्यापन का कार्य संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक /प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

ix कृषि समन्यवक द्वारा मेला में अपने पंचायत से संबंधित एक नोट–बुक संधारित किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सूचनायें अंकित की जायेगीः– यंत्र का नाम, पंचायत का भौतिक लक्ष्य, प्राप्त आवेदन की संख्या, सत्यापित आवेदन की संख्या, निर्गत स्वीकृति पत्र की संख्या (जिनको स्वीकृति पत्र निर्गत हो, मेला में उपस्थित नहीं हुए किसानों की संख्या जिनको स्वीकृति पत्र निर्गत है), किन कारणों से उपस्थित नही हुए। यंत्र क्रय करने वाले किसानों की संख्या, यंत्र क्रय नहीं करने वाले किसानों की संख्या (क्रय नहीं करने के कारण सहित) कुल वितरित यंत्र की संख्या, अस्वीकृत आवेदन की संख्या, अस्वीकृति का कारण तथा अभ्युक्ति।

x जिला स्तर पर गठित समिति जिसमें कृषि अभियंता भी शामिल है, स्टॉल में उपलब्ध यंत्रों की गुणवता से संबंधित प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में कृषि निदेशक को भेजेंगे तथा मेला के लिए तैयार भंडार पंजी में अंकित करेगें।

xi यंत्रों की गुणवता सत्यापन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी यंत्रों की सूची तथा संबंधित गुणवता प्रमाणन एजेंसी एवं संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) द्वारा सूचीबद्ध करने संबंधी सभी आवश्यक अभिलेख मेला में रखेंगे जिसके आलोक में प्रदर्शित यंत्रों की गुणवता सत्यापन का कार्य किया जायेगा।

xii 3–4 फोटोग्राफर की व्यवस्था मेला परिसर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

xiii मेला में क्रय किये गये यत्रों का प्रथम सत्यापन मेला में किया जाए। मेला में क्रेता, विक्रेता तथा पहचानकर्ता के साथ क्रय किए गए यंत्र का फोटोग्राफ लिया जायेगा।

xiv मेला में यंत्रों की बिक्री क्रेता/विक्रेता के सुविधानुसार सुबह से ही प्रारंभ हो जायेगी। उद्घाटन के लिए इसकी प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।

xv आवश्यकतानुसार मेला में स्टॉल निर्माण कराए जाएगें। इसका आकलन पूर्व में कर लेना होगा। सभी इच्छुक को स्टॉल आवंटित किए जाएगें।

xvi प्रत्येक यंत्र विक्रेता से एक शपथ पत्र की मॉग की जा सकती है कि मेला में, मेला के बाहर के बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर कृषि यंत्र की बिक्री नही कि जायेगी।

xvii प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मैमो का निरीक्षण जिला कृषि पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। इसमें प्रतिवेदित मूल्य की तुलना मेला में प्रवृत मूल्य से की जायेगी। यह निरीक्षण प्रत्येक माह में किया जायेगा। फलाफल प्रतिवेदन प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक तथा कृषि निदेशक को भेजी जायेगी।

xviii यंत्र विक्रेता को जिस बैंक खाते में अनुदान का भुगतान किया जा रहा है, उसका बैंक स्टेटमेंट लिया जाय। उन्हें यह भी अनिवार्य कर दिया जाय कि इसी खाते से ये निर्माता को भुगतान करेंगे। इस विश्लेषण से यह जानकारी हो पायेगा कि खाते से केवल नगदी लेन–देन हो रहा है या किसी निर्माता को भुगतान भी किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की संदेह पायी जाती है तो इस संबंध में तुरन्त कारवाई प्रारम्भ की जाय। यह कारवाई जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है।

xix मेला में यंत्रो की कीमत एवं अनुदान का प्रदर्शन Flexi पर किया जाएगा। कागज पर लिखकर चिपकाना वर्जित होगा। मेला में प्रदर्शित/बिक्री किये जा रहे यंत्रों की कीमत पर कृषि समन्वयक द्वारा कड़ी निगाह रखी जायेगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की मार्केट से कम कीमत पर कृषि यंत्रो की बिक्री मेला में की जा रही है।

(ख) मेला हेतु कर्मियों/पदाधिकारियों का दायित्व

मेला प्रभारी :–

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा एक वरीय पदाधिकारी को मेला प्रभारी नामित किया जायेगा, जिनका दायित्व निम्नवत होगाः–

1. मेला में विक्रेताओं द्वारा लाए गए यंत्रो के भंडार तथा प्रतिदिन बिक्री का सत्यापन मेला प्रभारी से कराया जाए; इसके लिए क्रय विपत्र एवं विक्रय विपत्र को भी आधार बनाया जाय। मेला में विक्रय किये गये यंत्रों की निकासी के लिए गेट पास की व्यवस्था तथा इसका मिलान भंडार/बिक्री पंजी से किया जाय। डीलर के स्टॉक पंजी का सत्यापन संबंधित निर्माता से की जायेगी ताकि यह प्रमाणित हो सके कि जो यंत्र बेचे जा रहे हैं, वह निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई है।
2. मेला में बिक्री किये गये यंत्र के कैशमेमों का सत्यापन मेला में मेला प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
3. मेला प्रभारी किसानों द्वारा क्रय किए गए यंत्रो के कैशमेमों को प्रतिहस्ताक्षारित करेगें।
4. प्रत्येक कृषि यंत्र विक्रेता के स्टॉक तथा बिक्री पंजी एवं कैश मैमो का निरीक्षण मेला प्रभारी के द्वारा भी की जायेगी।

<u>कृषि समन्वयक</u>

1. किसानों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराना ।
2. किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं जॉच कर प्रतिवेदन देना ।
3. पंचायत स्तर पर आवेदन प्राप्ति संबंधी पंजी का संधारण करना ।
4. किसानों को प्राप्ति रसीद देना ।
5. किसानों को स्वीकृति पत्र वितरित करना ।
6. मेला में किसानों को आमंत्रित करना ।
7. मेला में किसानों की पहचान करना ।
8. क्रेता/विक्रता एवं यंत्र (परिसम्पति) के साथ फोटाग्राफी में उपस्थित रहना ।
9. यंत्रो का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन करना ।
10. पंचायत से संबंधित कृषि यंत्रो के लक्ष्य, प्राप्त आवेदन एवं अन्य सभी आवश्यक सूचनाओं को एक अलग से नोट–बुक में संधारित कर मेला में अपने साथ रखना।

<u>प्रखंड कृषि पदाधिकारी</u>

1. प्रखंडवार प्राप्त लक्ष्य को पंचायतवार विभक्त करना।
2. प्रखंड स्तर पर किसानों से आवेदन पत्र प्राप्त करना ।
3. पंचायतों से प्राप्त आवेदन को प्रखंड स्तरीय पंजी में अंकित करना ।
4. पत्र द्वारा आवेदन को लक्ष्य के अनुसार जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना ।
5. जिला से स्वीकृति पत्र प्राप्त कर कृषि समन्वयक को वितरीत करना ।
6. सभी कृषि समन्वयको की मेला में उपस्थिति सुनिश्चित कराना ।
7. प्रखंड के किसानों को यंत्र के क्रय एवं अनुदान प्राप्ति में सहयोग करना ।
8. किसानों के आवेदन पर जॉच प्रतिवेदन एवं भौतिक / उपयोगिता सत्यापन करना ।
9. छोटे यंत्रों यथा वीडर, सीडबीन, सीड कम फर्टिलाइजर डिबलर इत्यादि की विक्री प्रखंड स्तर पर आयोजित उत्सवों में कराना ।
10. मेला से तीन दिनों पूर्व प्रखंड स्तर पर मेला संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कैम्प आयोजित कराना।

<u>जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व</u>

1. राज्य से प्राप्त लक्ष्य को प्रखंडवार पंचायतो के गुणक में विभक्त करना तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति का लक्ष्य कर्णांकित करना; ताकि पंचायतवार लक्ष्य स्पष्ट हो सके ।
2. पंचायतवार/प्रखंडवार आवेदन संधारण हेतु पंजी उपलब्ध कराना ।
3. यांत्रिकरण में जिला स्तर पर समेकित पंजी का निर्धारण विहित प्रपत्र में सुनिश्चित करना।
4. जिला में उपलब्ध उपयुक्त स्थल पर मेला का आयोजन करना ।
5. मेला का उद्घाटन जिला के प्रभारी मंत्री से कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर मंत्री उपस्थित न हो सके, तो जिलाधिकारी करेगें ।
6. मेला आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करना ।
7. मेला में भंडार का सत्यापन एवं कैशमेमों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु मेला प्रभारी को नामित करना तथा बिक्री किये गये यंत्रों को गेट–पास के माध्यम से निकास करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
8. मेला में जिला के सभी विक्रेताओं को आमंत्रित करना तथा CST/BST एवं यंत्र प्राप्ति का श्रोत संबंधी प्रमाण पत्रों की जॉच के बाद स्टॉल आवंटित करना ।
9. मेला में ट्रैफिक/कानुन व्यवस्था संधारण हेतु जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करना।
10. लक्ष्य के अनरूप यंत्रो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना ।
11. किसानों/विक्रेताओं को मेला के दिन अनुदान राशि उपलब्ध कराना ।
12. प्रत्येक दिन की उपलब्धियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना ।
13. मेला से एक सप्ताह पूर्व स्टेक होल्र्डस की बैठक आयोजित करना तथा मेला में बिक्री किए जाने वाले यंत्रो के न्यूनतम मूल्य की सूचना लिखित में प्राप्त करना ।

<u>परियोजना निदेषक, आत्मा का दायित्व</u>

1. मेला का व्यापक प्रचार प्रसार कराना ।
2. प्रखंडों पर मेला आयोजन की तिथि तथा यंत्रो के अनुदान का FLEXI लगाना ।
3. जिला की आवश्यकता के अनुसार स्टॉल का निर्माण कराना ।
4. मेला में पानी की व्यवस्था कराना ।
5. किसानों की सहायता के लिए एक स्टॉल लगाना ।

6. कृषि से संबंधित Leaflet वितरित करना ।
7. उदघाटन की व्यवस्था करना ।
8. किसानों के प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिको को आमंत्रित करना ।
9. पर्याप्त संख्या में चेक मेला में उपलब्ध रखना।

प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशकः–

जिला स्तरीय कृषि मेला में संयुक्त कृषि निदेषक (प्रमंडलीय) भी उपस्थित रहेंगे एवं अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा कृषि निदेषक, बिहार को प्रतिवेदित करेंगे। यदि प्रमण्डल में एक ही तिथि में एक से अधिक जिला में मेला आयोजित होता है तो उस स्थिति में प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेषक अपने अधिनस्थ पदाधिकारी को अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु अन्य जिला के मेला में प्रतिनियुक्त करेंगे। अनुदेश में संयुक्त कृषि निदेशक का दायित्व समय–समय पर निर्धारित है। योजना के प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायेगे तथा कृषि निदेशक, बिहार को प्रतिवेदन देगें।

(ख) गन्ना मिलः– गन्ना उत्पादकों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र देने हेतु सम्बंधित जिले के प्रत्येक चीनी मिल परिसर में मेले का आयोजन गन्ना विभाग द्वारा किया जायेगा। मेला आयोजन की सूचना सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी दी जायेगी।

(ग) राज्य स्तर :– राज्य स्तर पर एक भव्य किसान मेला का आयोजन किया जाना है। इसमें राज्य स्तर पर कृषि यंत्रों का प्रदर्षनी/प्रत्यक्षण/प्रषिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसमें देष एवं विदेश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माताओं को आमंत्रित किया जाय। प्रत्येक जिला से किसानों को इस प्रदर्षनी को दिखाने के लिये बुलाया जायेगा। ऐसा होने पर आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को हो सकेगी एवं वे सरकार के द्वारा दी जा रही अनुदान का लाभ ले सकेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी राज्य स्तरीय मेला में कृषि यंत्र क्रय करने हेतु इच्छुक आवेदक कृषक को यथा समय स्वीकृति पत्र निर्गत कर इन्हें मेला में भाग लेने हेतु प्रेरित करेगें।

11. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :–

किसानों के पास अनुदान के लाभ के लिये तीन विकल्प होंगे :–

i किसान द्वारा नगद क्रयः– किसान द्वारा पूर्ण मूल्य पर यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान का दावा किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त दावा पत्र के आलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर त्ज्ळैध्छम्थ्ज से अनुदान भुगतान कृषक के बैंक खातें में 7 (सात) दिनों के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

ii किसान द्वारा अनुदान राशि छोड़कर विक्रेता को नगद भुगतान कर क्रयः– यदि किसान, मेला में यंत्रों की पूरी राषि लेकर नहीं आते है और वे यंत्र क्रय करने के लिए इच्छुक है; तो लाभान्वित कृषक जिला कृषि पदाधिकारी को यह आवेदन देंगे कि'' मैं..... ..... (क्रेता का नाम)..... अनुदानित दर पर .....(यंत्र का नाम)..... .. यंत्र का क्रय..... (बिक्रेता का नाम) ..... से किया हूँ। अनुदान की राषि ..... (बिक्रेता का नाम) .....को भुगतान किया जाय। जिन किसानों के द्वारा अनुदान रहित दर पर कृषि यंत्र का क्रय किया जायेगा, उन मामलों में अनुदान का भुगतान विक्रेता को किया जायेगा। विक्रेता द्वारा विपत्र के साथ किसानों की पूर्ण सूची संलग्न किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भौतिक

सत्यापन के पश्चात विपत्र की निकासी की जायेगी तथा त्ज्ळैध्छम्थ्ज से विक्रेता के खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार की अनियमितता में संलिप्त होने पर सम्बंधित पदाधिकारी/विक्रेता/आपूर्तिकर्त्ता/किसान के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

iii बैंक ऋण द्वारा क्रय :–बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदने वाले सभी किसानों के लिए उनके सत्यापित बैंक खाते में अनुदान की राशि त्ज्ळैध्छम्थ्ज के माध्यम से किसान के ऋण खाते में जमा करने हेतु भेजा जायेगा।

iv मेला अवधि में जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय यदि कोई बैठक आयोजित होती है तो जिला कृषि पदाधिकारी स्वंय मेला में उपस्थित रहेगें एवं उक्त बैठक में भाग लेने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को प्राधिकृत करेंगे। मेला समाप्ति के दिन ही अपराह्न में लाभान्वित कृषकों की सूची संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेषक/कृषि निदेषक/राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकीकरण) को विहित प्रपत्र में अचूक रूप से प्रतिवेदन भेजेंगे। साथ ही मेला के दिन जिला कृषि पदाधिकारी अपने लॉगिन आइडी से वितरित कृषि यंत्रों का विवरण यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर में अपलोड करेंगे।

12. कृषि यंत्र का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन :– अनुदानित दर पर क्रय किये गये प्रत्येक कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसान के घर जाकर किया जायेगा। किसान के घर जाकर भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन के लिए कैषमेमो पर उल्लेखित इंजन संख्या के अनुसार भौतिक सत्यापन करेंगे तथा क्रय किये गए यंत्रों के साथ लाभान्वितों का फोटो लेंगे एवं विहित प्रपत्र में भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन प्रतिवेदन ऑन लाईन प्रविष्टि करेंगे।

13. धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान की राषि की वसूली एवं दण्डात्मक कार्रवाई :– भौतिक सत्यापन/उपयोगिता सत्यापन/जाँच की प्रक्रिया में अगर ऐसा पाया जाता है कि किसान के पास क्रय किया गया कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की गलत सूचना देकर अनुदान प्राप्त किया गया था तो किसान से अनुदान की राषि वसूल कर ली जायेगी एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जाँच के क्रम में यदि पाया जाता है कि कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर अमानक यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये है या बिना यंत्र उपलब्ध कराये अनुदान का दावा किए गए है या अनुदान प्राप्त कर लिया गया है तो वैसी स्थिति में संबंधित निर्माता/विक्रेता पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करते हुए प्रषासनिक कार्रवाई किया जायेगा। अमानक यंत्रों की आपूर्ति/यंत्रों की आपूर्ति किए बिना अनुदान प्राप्त करने/भुगतान करने में/अपात्र लाभूकों को अनुदान वितरण में जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वय/किसान सलाहकार/अन्य कार्यालय कर्मी की मिली भगत पायी जाती है तो प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेषक संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए प्रषासनिक कार्रवाई करेंगे।

14. लेखा का संघारण :– अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये यंत्रो का लेखा संधारण योजनावार/कोटिवार किया जायगा। किसानों को दिये जाने वाले स्वीकृति पत्र जिस

योजना के विरूद्ध दिये जा रहे हैं, उन्हें उसी योजना की पंजी में एक साथ संधारित किया जायगा तथा योजनावार केन्द्राष एवं राज्यांष के अनुपात के अनुरूप ही अनुदान राषि व्यय किया जायगा। जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिष्चित कर लेगें कि एक ही आवेदन को एक से अधिक योजनाओं में किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति नहीं किया जाय।

15. प्रचार–प्रसार :– जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार प्रत्येक माह में दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्षन के माध्यम से कराया जाएगा।

(क) मेले की तिथि का प्रचार प्रसार एक सप्ताह पूर्व से जिला के सभी प्रखंडों में लगातार होनी चाहिए।

(ख) जिला स्तर पर भी इस योजना के संबंध में किसानों की जानकारी के लिए फ्लैक्सी बोर्ड बनाकर जिला के मुख्य भवनों यथा जिला समाहरणालय/जिला कृषि कार्यालय/सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाकर प्रचार–प्रसार किया जाएगा तथा कृषि यंत्रों पर दी जानेवाली अनुदान राषि को फ्लैक्सी बोर्ड पर अंकित कर प्रचार–प्रसार कराया जायगा।

(ग) जिला के सभी प्रखण्ड मुख्यालय/कृषि विकास षिविर स्थल पर/पंचायत मुख्यालय में भी फ्लैक्सी बोर्ड लगाकर इसका प्रचार–प्रसार किया जाएगा। पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर पावर टीलर पर दिये जाने वाले अनुदान की राषि एवं कृषि यंत्रों की उपयोगिता के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला में प्रखंडवार लक्ष्य को समाचार पत्रों में प्रकाषित किया जायगा तथा लिफलेट्स भी वितरित किये जायेंगे, जिससे कृषकों को इसकी जानकारी मिल सके तथा इसका आवेदन संबंधित बैंक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को कृषकों द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी आकस्मिकता मद से प्रचार–प्रसार करेंगे एवं लिफलेट्स वितरित करेंगे।

(घ) प्रचार प्रसार से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण अपने–अपने प्रमण्डल में प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेषक करेंगे तथा किये गये प्रयासों का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 1 तारीख को कृषि निदेषक बिहार को भेजेगें।

16. कृषक प्रषिक्षण :–

i इसके तहत् 50(पचास) कृषक समूह के बीच तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान चलाया जाना है।

ii यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा; जिसमें योजना में शामिल किये गए सभी प्रकार के घटक यंत्र का नमूना लाया जायगा तथा इसका प्रचार–प्रसार कर कृषकों को बुलाया जायगा तथा उन्हें यंत्र का प्रत्यक्षण कर कृषि अभियंता/कृषि वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी जायगी एवं यंत्र से संबंधित लिफलेट/बुकलेट भी कृषकों को उपलब्ध कराया जायगा।

iii कृषक प्रषिक्षण कार्यक्रम आत्मा के स्तर से किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषकों को कृषि यंत्रों कें संबंध में प्रषिक्षित किया जा सके। आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग, रख–रखाव तथा मरम्मति आदि के संबंध में कृषकों को जानकारी दिया जाना आवष्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को कृषि

यंत्रों के संबंध में जानकारी दिया जाना है, जिसमें प्राथमिकता के तौर खरीफ रबी एवं गरमा फसलों के उत्पादन में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग तथा लेजर लैण्ड लेवलर, पॉवर वीडर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील, कम्बाइन हारर्वेस्टर, स्ट्रा कम्बाइन, जीरो टिलेज मषीन, थ्रेसर, पम्पसेट, रीपर, पावर टिलर आदि प्राप्त कृषकों को प्रषिक्षित किया जाना है। तदोपरान्त अन्य कृषि यंत्र प्राप्त लाभान्वितों को भी प्रषिक्षित किया जाएगा।

iv प्रषिक्षण कार्यक्रम आत्मा के द्वारा कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिकों/अभियंताओं को आमंत्रित कर जिला स्तर पर संबंधित कृषकों को प्रषिक्षित किया जाएगा। इस हेतु निदेषक, बामेती, बिहार कार्यक्रम बनाकर प्रषिक्षण कराने का कार्य करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी वैसे कृषकों की सूची जिन्होंने कृषि यंत्र प्राप्त किया है, परियोजना निदेषक, आत्मा को उपलब्ध करायेंगे, ताकि परियोजना निदेषक, आत्मा इस कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप दे सकें। कम्बाईन हार्वेस्टर, स्ट्रा कम्बाईन एवं अन्य उन्नत उपयोगी कृषि यंत्र के प्रषिक्षण हेतु इच्छुक कृषकों को राज्य के बाहर प्रषिक्षण हेतु आवश्यकतानुसार भेजा जा सकता है। इस हेतु जिला कृषि पदाधिकारी कृषकों की सूची परियाजना निदेषक, आत्मा को देते हुए निदेषक, बामेति बिहार को उपलब्ध कराएँगे। बामेति द्वारा राशि की उपलब्धता के आलोक में कार्यक्रम बनाकर कृषकों को राज्य से बाहर भारत सरकार के कृषि यांत्रिकीकरण से संबंधित संस्थानों यथा सी०आई०ए०ई० भोपाल/एफ०एम०टी० एण्ड टी०आई० बुदनी/एन०आर०एफ०एम०टी० एण्ड टी०आई०, हिसार आदि जगहों पर प्रषिक्षण दिला सकेगें। साथ ही तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान के तहत् भी कृषकों को राजकीय प्रक्षेत्र/किसान के खेत में कृषि यंत्रों का प्रयोग कर जागरूक करना है ताकि वे नये कृषि यंत्र अनुदानित दर पर क्रय कर लाभ प्राप्त कर सके।

v सभी उपयोगी बड़े कृषि यंत्रों के निर्माता/विक्रेता/ लाभार्थी कृषकों को निश्चित रूप से उक्त यंत्रों के परिचालन एवं रख रखाव का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेगें।

vi कृषक प्रषिक्षण/तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए आत्मा द्वारा निधि की व्यवस्था की जायेगी।

17 अनुश्रवण :–

(i) प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा अपने प्रमंडल के जिलों में बिक्री की गई यंत्र, मुल्य एवं अनुदान तथा भुगतान का तरीका (किसान/डीलर/बैंक) की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी तथा इसका विश्लेषण किया जायेगा। तालिका एवं विवरणी कृषि निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रत्येक मेला के बाद राज्य स्तर पर संकलित तालिका एवं विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सचिव/प्रधान सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक दृढ़ता से पालन करेगें।

.जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अनुदान पर कृषि क्रय करने वाले लाभुक कृषकों की सूची विहित प्रपत्र में यंत्रवार जिला के बेवसाइट पर मेला की समाप्ति के उपरान्त डाल दिया जाएगा, तथा इसकी साफ्ट प्रति कृषि विभाग की विभागीय बेवसाइट पर डालने हेतु उपलब्ध कराया जायगा।

(iii) जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्येक माह के 7 वीं तारीख को संयुक्त कृषि निदेषक के माध्यम से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन के साथ लाभान्वित कृषकों की सूची की साफ्ट प्रति एवं हार्ड प्रति कृषि निदेषक, बिहार को उपलब्ध करायेंगे, जिसका प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। लाभान्वित कृषकों की सूची की दूसरी प्रति विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह में संयुक्त कृषि

निदेषक (अभियंत्रण) पटना को तथा तीसरी सूची जिला स्थिल सेल टैक्स कार्यालय को भी निष्चित रूप से उपलब्ध कराएँगे।

(iv) नियंत्री/ पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन :– प्रमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्रों का 15 प्रतिषत न्यूनतम 80 प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेषक, जिला में अनुदानित दर पर वितरण किये गये कृषि यंत्र का 30 प्रतिषत न्यूनतम 80 जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमंडल में अनुदानित दर पर वितरण किये कृषि यंत्र का 50 प्रतिषत न्यूनतम 80 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किसानों के घर पर जाकर भौतिक सत्यापन की जाँच की जायेगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा शत–प्रतिषत कृषि यंत्रों का जाँच किया जाएगा। उपरोक्त संबंधित सभी पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन कृषि निदेषक, बिहार को उपलब्ध कराया जायगा, जिसमें स्पष्ट मंतव्य अभ्युक्ति कॉलम में अंकित रहे।

(v) संयुक्त कृषि निदेषक (अभियंत्रण) बिहार, पटना द्वारा राज्य में उपलब्ध कृषि अभियंताओं का एक समूह बनाकर विषेष परिस्थिति में वितरित यंत्रों की रैण्डम गुणवत्ता की जाँच करायी जायगी।

(vi) संयुक्त कृषि निदेषक (अभियंत्रण) प्रत्येक माह के 5वीं तारीख को सभी सूचिबद्ध उन्नत कृषि यंत्रों के निर्माताओं/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं की बैठक करेंगे तथा उनके द्वारा वितरित उन्नत कृषि यंत्रों का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे तथा समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा/मूल्यांकन प्रतिवेदन से कृषि निदेषक को अवगत कराऐंगे।

(vii) .संयुक्त कृषि निदेषक (अभियंत्रण), बिहार आवष्यकतानुसार जिला का दौरा करेंगे तथा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा वितरित कृषि यंत्रों की समीक्षा करेंगे तथा प्रतिवेदन से कृषि निदेषक को अवगत कराएँगे।

(viii) .वित्तीय वर्ष के अंत में लाभान्वित कृषकों की पूर्ण सूची विहित प्रपत्र में सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी जिला कृषि पदाधिकारी स्पाइरल बाईंडिंग कराकर कृषि निदेषक/संयुक्त कृषि निदेषक (अभियंत्रण) को निष्चित रूप से अप्रैल 2016 के 15वीं तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे।

(ix)- कृषि रोड मैप परफौरमेंन्स इंडिकेटर में पावर टीलर, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं जीरो टिलेज शामिल किया गया है। पावर टीलर पूर्व से मांग आधारित है। ज्ञापांक 64 दिनांक 06.01.2012 के आलोक में कम्बाईन हार्वेस्टर एवं जीरो टिलेज भी मांग आधारित है। इन यंत्रों के निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से कृषकों के बीच प्रचार प्रसार किया जायगा एवं साप्ताहित प्रगति प्रतिवेदन कृषि निदेशालय के ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. अन्यान्य :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति हेतु कर्णांकित राषि का विचलन नहीं किया जायगा।
2. कम्बाईन हार्वेस्टर/मोबाईल सीड प्रोसेसिंग यूनिट बैंक ऋण आधारित होगा।
3. कम्बाईन हार्वेस्टर जिन कृषकों द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त किया जाएगा, उन्हें स्ट्रा रिपर भी निष्चित रूप से लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। पशुचारा का प्रबंधन सुनिष्चित करने हेतु स्ट्रा रिपर के लिए इच्छुक कृषक को भी निर्धारित अनुदान देय होगा।

4. नकद पत्र मूल (व्तपहपदंस) में होना चाहिये। जिस पर यंत्र का ैचमबपपिबंजपवद (यंत्र का अष्वषक्ति, मेक/मॉडल/साइज/टाईन अंकित हो) एवं ऐसेसरीज में ऐसेसरीज का नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो।
5. जिला कृषि पदाधिकारी फर्मवार/यंत्रवार अनुदानित दर पर वितरित यंत्र पर वैट (ट।ज) कटौती की सत्यता की जाँच हेतु जिला स्थिल सेल टैक्स कार्यालय को सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति पर देंगे तथा पूरे वर्ष का एक समेकित सूचना वित्तीय वर्ष के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी देंगे ताकि क्रास चेकिंग हो सके। (वैट कटौती से संबंधित दिषा निर्देष के संबंध में परिपत्र–संलग्न)
6. स्वीकृत्यादेष में जिन यंत्रों पर अनुदाय देय है उन्हीं यंत्रों पर अनुदान देय होगा। उसके अतिरिक्त किसी भी यंत्र पर अनुदाय देय नहीं होगा।

कृषकों से प्राप्त कृषि यंत्र के आवेदन संधारण हेतु विहित प्रपत्र

जिला का नामः–

प्रखंड का नाम

यंत्र का नाम

लक्ष्य :–

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषक का वर्गीकरण अ0जाति/अनु0 जन0/महिला/ अन्य	कृषक का प्रकार सीमान्त/ल घु/अन्य	यंत्र का मेक/मॉडल	यंत्र की क्षमता (अश्वशक्ति)	आवेदन का क्रमांक	आवेदन प्राप्ति की तिथि	आवेदन स्वीकृत/ अस्वीकृत	अस्वीकृत होने का कारण	आवेदक द्वारा यंत्र क्रय करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

फोटोग्राफ

कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र

आवेदन का क्रमांक..... दिनांक ..... वित्तीय वर्ष .....(कार्यालय द्वारा भरा जाय

1. किसान का नाम–

2. पिता/पति का नाम–

3. ग्राम ....., डाकघर ....., पंचायत ..... प्रखंड ...., अनुमंडल ....., जिला ..... दूरभाष/मोबाईल सं० .....

3.1 बैंक का नाम (IFSC कोड सहित)/खाता नं0:–

4. कृषक श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में √ चिन्ह लगावें)

अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( ) पिछड़ी जाति ( ) अत्यंत पिछड़ी जाति ( ) अल्प संख्यक ( ) महिला ( ) सामान्य ( )

5. उम्र (जन्म तिथि) : वर्ष..... महीना..... दिन.....

6. पहचान चिन्ह :–

7. कृषक के पास उपलब्ध भू–धारिता का विवरण (पावर टीलर पर अनुदान के लिए न्यूनतम एक एकड़/ छोटे ट्रैक्टर 15 अश्वशक्ति तक के लिए एक एकड़/15 अश्सशक्ति से अधिक के ट्रैक्टर के लिये 2.5 एकड /कम्बाईन हार्वेस्टर के लिये 5 एकड़ तथा पम्पसेट के लिये आधा एकड़ भू–धारिता अनिवार्य है।) (अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न किया जायेगा।)

ग्राम खाता सं० खेसरा सं० रकवा(एकड़ में)

8. क्रय किये जाने वाले यंत्र के संबंध में विवरण:–

(क) मेक/मॉडल अथवा कम्पनी का ब्रान्ड नाम–

(ख) यंत्र की अश्व शक्ति–

(ग) यंत्र का मूल्य–

9. मैं पूरे मूल्य का नगद भुगतान कर उक्त कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ /मैं विक्रेता से अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ/मैं बैंक ऋण लेकर कृषि यंत्र खरीदना चाहता हूँ। (जो लागू नहीं हों उन्हें काट दें)

10. मेरे द्वारा पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) में अनुदान पर उक्त कृषि यंत्र नहीं लिया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही हैं। अनुदानित दर पर क्रय किये गये कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा/करूँगी। इसे न तो हस्तांतरित करूँगा/करूँगी और न ही इसे बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता हूँ कि गलत सूचना के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर अनुदान की राशि मुझसे वसूली जायेगी एवं मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान एवं तिथि

नोटः– टंकित/हस्तलिखित हस्ताक्षरित आवेदन दिये जा सकते है।

प्राप्ति रसीद

नाम :– ग्राम– प्रखंड– जिला– से कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन का क्रमांक .....दिनांक..... ..... वित्तीय वर्ष ..... है।

प्राप्तकर्त्ता का पूरा नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

<u>कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)।</u>

मैंने जाँच किया एवं तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि

1. आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम .....
...

ग्राम ....., डाकघर ....., पंचायत .....
प्रखंड ..... अनुमंडल ....., जिला ..... किसान हैं एवं उक्त पते पर रहते हैं।

2. इनके द्वारा आवेदन पत्र में भू–धारिता के संबंध में दिया गया विवरण सही है। इनके पास ..... एकड़ जमीन है (भू–धारिता के संबंध में जाँच उन्हीं कृषि यंत्रों के लिये प्रासंगिक होगा जिनमें भू–धारिता के संबंध में विभाग द्वारा व्यवस्था विहित की गयी है अन्यथा इस खंड को काट दिया जायेगा)।

3. इन्हें पूर्व (पूर्ववर्त्ती वर्षो/वर्त्तमान वर्ष में इस आवेदन से पूर्व) वर्षों में उक्त कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है।

मैं उक्त कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा अनुमान्य अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

कृषि समन्वयक का नाम/
हस्ताक्षर एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

बैंक शाखा द्वारा कृषि यंत्रों का ऋण स्वीकृति/वितरण संबंधी प्रतिवेदन :–

फोटोग्रॉफ

1. लाभार्थी कृषक का नाम एवं पूर्ण पता :

   कृषक का नाम : .....पिता/पति का नाम.....ग्राम .....

   ...पोस्ट .....थाना .....प्रखंड.....

   .....जिला.....

2. योजना का नाम :–
3. बैंक शाखा का नाम एवं पता :–
4. कृषि यंत्र का नाम :–
5. कृषि यंत्र की अश्व शक्ति/पी0टी0ओ0
6. आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान का नाम एवं पता :–
7. कृषि यंत्र का कुल मूल्य :–
8. कृषि यंत्र का मेक/मॉडल/ब्राण्ड :–
9. कृषि यंत्र का इंजन संख्या :–

9 (क) चेचिस संख्या :–

10. कृषि यंत्र कहां से जॉच किया हुआ है :(ISI/FMTTI/BIS आदि)

(क) ऋण स्वीकृति संबंधी विवरण :–

(i) ऋण स्वीकृति की तिथि :

(ii) स्वीकृत ऋण की राशि :

(iii) ऋण स्वीकृति का खाता संख्या/चालू/बचत खाता संख्या/स्वीकृति आदेश सं0: **अथवा**

(ख) ऋण वितरण संबंधी विवरण :

(i) ऋण वितरण की तिथि :

(ii) वितरित ऋण की राशि :

(iii) ऋण खाता संख्या :

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :– इसके साथ भूमि संबंधी प्रमाण पत्र, प्रतिष्ठान द्वारा दिया गया कृषि यंत्र का कैशमेमो/कोटेशन एवं आवासीय प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न की जाय।

ज्ञापांक :– दिनांक 2014/2015

प्रतिलिपि :– जिला कृषि पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी, ...को सूचनार्थ एवं अनुदान विमुक्ति हेतु प्रेषित।

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर एवं मुहर।

<u>अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय हेतु स्वीकृति पत्र (कार्यालय द्वारा भरा जाय)</u>

आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम .....
..

ग्राम ....., डाकघर ....., पंचायत ..... प्रखंड .....
....., अनुमंडल ....., जिला ..... के आवेदन पत्र की जाँच की गई है एवं सही पाया गया है।

2. आप ..... (कृषि यंत्र का नाम) पर अनुदान की पात्रता रखते हैं। आपके द्वारा उक्त कृषि यंत्र के क्रय करने पर आपको मूल्य का ..... प्रतिशत अधिकतम ..... रूपया अनुदान देय है।

4. आप अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से आवेदन में दिये गये मेक/मॉडल/अश्व शक्ति का कृषि यंत्र किसान मेला में खरीद सकते हैं।

1. कृषि यंत्र का क्रय करने के बाद क्रय संबंधी कैशमेमो मूल में जिला कृषि पदाधिकारी को प्रस्तुत करें। कैशमेमो में अनिवार्य रूप से इंजन सं० लिखा होना चाहिए।
2. नियमानुसार कृषि मेला में क्रय किये गए कृषि यंत्र पर अनुदान की राशि कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन (जो मेला में क्रय के समय ही किया जायेगा) के पश्चात, आपके नाम एकाउंट पेयी चेक/विक्रेता के नाम एकाउंट पेयी चेक/आपके बैंक ऋण खाते में जमा किया जायेगा। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

<u>अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय का भौतिक/उपयोगिता सत्यापन संबंधित विहित प्रपत्र (संबंधित पदाधिकारी द्वारा भरा जाय)</u>

आवेदक श्री/श्रीमती..... पिता/पति का नाम .....

...

ग्राम ....., डाकघर ....., पंचायत ..... प्रखंड .....

....., अनुमंडल ....., जिला ..... के घर जाकर जाँच की गई है एवं इंजन संख्या ..... कृषि यंत्र पाया गया है। कृषि यंत्र का उपयोग किसान जुताई/ढुलाई/सिंचाई/थ्रेसिंग/अन्य कार्य..... में करते हैं। किसान कृषि यंत्र से संतुष्ट हैं।

किसान का
हस्ताक्षर/अंगूठे का
निशान एवं तिथि

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु
विशेषज्ञ/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर

अनुदानित दर पर कृषि यंत्र विक्रेता के लिए केश मेमो का प्रारूप

फर्म का नाम एवं पता

किसान का नाम : .....टीन नं0.....

पता/ग्राम :.....पंचायत .....भी.ए.टी.नं.....

कृषि यंत्र का नाम .....मोबाईल सं0:–.....

इंजन नं0 :–.....

प्रखंड :–.....जिला .....

विपत्र सं0 .....दिनांक .....

क्र0सं0	यंत्र का नाम	कम्पनी का नाम	मेक/ मॉडल	अश्व शक्ति/ मानव चालित	इंजन संख्या/ अमिट क्रमांक	कुल कीमत	अनुदान की राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

किसान का हस्ताक्षर **विक्रेता का हस्ताक्षर एवं मूहर**

नोट :– (क) विपत्र तीन कॉपी में होगा। प्रथम विपत्र समेकित विपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ख) विक्रेता अपना कुल विपत्र के साथ एक समेकित विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

समेकित विपत्र का प्रारूप

फर्म का नाम एवं पता

टीन नं0 :–.....

भी.ए.टी.नं0 :– .....

फोन नं.....

क्र0 सं0	दिनांक	विपत्र का नं0	किसान का नाम	ग्राम	पंचायत	कृषि यंत्र नाम	मात्रा (सं0 में)	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
कुल										

कुल प्राप्त राशि .....रू0 / (शब्दों .....में)।

कुल अनुदान की राशि .....रू0 / (शब्दों .....में)।

जिला कृषि पदाधिकारी
द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

विक्रेता का हस्ताक्षर
एवं मुहर

कृषि यंत्र निर्माता द्वारा कृषि निदेशालय को भेजे जाने वाले आवेदन का प्रपत्र

प्रपत्र

जिलावार अनुदान पर आपूर्ति किये गये कृषि यंत्रों का विवरण

यंत्र निर्माता का नाम/पता एवं मो0/ई–मेल

क्र0सं0	जिला का नाम	डीलर का नाम पता एवं मो0 नं0	यंत्रका नाम	मैक/ मॉडल	वितरित संख्या	इंजन नं0/अमिट क्रमांक	कैशमेमों सं0 एवं तिथि	यंत्र की कीमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यंत्र निर्माता का पूरा नाम हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रपत्रः

कृषि मेला में प्रदर्शित गुणवतायुक्त कृषि यंत्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र

जिला का नामः..... मेला की तिथिः.....

.

प्रमंडल का नामः.....

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि यांत्रिकीकरण मेला में प्रदर्शित कृषि यंत्रों की जाँच की गई है। प्रदर्शित सभी कृषि यंत्र मानक संस्थाओं से प्रमाणित तथा संयुक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण) बिहार पटना से सूचीबद्ध है। प्रदर्शित कृषि यंत्रों पर आवश्यकतानुसार इंजन नम्बर/चेचिस नंम्बर/अमिट क्रमांक पाया गया।

जाँच करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1. जिला उद्यान पदाधिकारी :–

2. परियोजना निदेशक आत्माः–

3. जिला कृषि अभियंत्रण पदाधिकारीः–

4. जिला कृषि पदाधिकारी :–

ज्ञापांकः..... दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– कृषि निदेशक, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि पदाधिकारी

अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों से संबंधित लाभान्वित कृषकों की सूची यंत्रवार/ग्रामवार/पंचायतवार/प्रखंडवार

क्र सं	कृषक का नाम	पिता / पति का नाम	ग्राम	पंचायत	प्रखंड	यंत्र का नाम	आवेदन पत्र/ बैंक में स्वीकृत पत्र प्राप्ति की तिथि	चेसिस संख्या	इंजन संख्या	मेक/ मोडल	अश्व शक्ति	आईएसआई /बी0आई0 एस0/एफ0 एम0टी0एण्ड टी0आई0	गुणवत्ता पूर्ण है या नहीं	भारत सरकार के सूची में शामिल है या नहीं	कुल कीमत	अनुदान की राशि	किसानों द्वारा प्राप्ति रसीद	आपूर्तिकर्ता का नाम और पूरा पता दूरभाष के साथ	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

साप्ताहिक प्रतिवेदन

कृषि रोड मैप 2015–16 का परफौरमेंस इंडिकेटर

जिला का नामः–

तिथिः–

राशि लाख में

क्र० सं0	योजना का नाम	इकाई	भैतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि	अभ्युक्ति
			2015-16	2015-16	2015-16	2015-16	
1	2	3	4	5	6	7	8
D	**कृषि यंत्र**						
11	पावरटीलर	संख्या					
12	जीरो टिलेज	संख्या					
13	कंबाईन हार्वेस्टर	संख्या					

जिला कृषि पदाधिकारी,